



## उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U. P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

14-अरूक मार्ग, इन्डिस्ट्रियल एरिया, लखनऊ

CIN:U32201UP1999SGC024928

संख्या -1235-अ0प्र0-07/पाकालि/15-16-अ0प्र0-07/14

दिनांक 29/05/2015

### कार्यालय झाप

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कार्यरत तथा पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा घोषित कम्बाइन्ड सीनियारिटी के आधार पर 40% प्रोन्नति कोटे के अन्तर्गत अधोनामित अवर अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) को उनके वर्तमान तैनाती स्थान से कार्यमुक्त होकर, उनके नाम के सम्मुख अंकित इकाई पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से अस्थायी/स्थानापन्न सहायक अभियन्ता (ई0 एण्ड एम0) के पद पर इस प्रतिबन्ध के साथ प्रोन्नत किया जाता है कि वे पूर्व परिषदादेश सं0-485-ए-आर/राविपि-01-28-एआर/89, दिनांक 27.03.1989 के सन्दर्भ में मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन एवं विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अनिवार्य रूप से भाग लेंगे।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के सम्बन्ध में आवश्यक निर्देश मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक (प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास), विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा अलग से जारी किये जायेंगे :-

| क्र0 सं0 | नाम/पिता का नाम<br>ट्रेड/जन्मतिथि/गृह जनपद/वर्ग/वरिष्ठता क्रमांक                   | वर्तमान<br>तैनाती स्थान     | प्रोन्नति पश्चात् आवंटित<br>निगम/इकाई | आवंटित<br>अभिज्ञान सं0 |
|----------|--|-----------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| 1        | श्री विनय सोनी/श्री जगेश्वर प्रसाद सोनी<br>वि0/18.1.1976/फर्रुखाबाद/अनु0 जाति/8752 | वि0पार0म0,<br>अलीगढ़        | पारेषण संगठन                          | 2015167                |
| 2        | श्री कृष्णानन्द/श्री जर्नादन प्रसाद<br>वि0/19.02.1975/गोरखपुर/अनु0 जाति/8753       | वि0वित0म0,<br>गोरखपुर       | पूर्वांचल डिस्कॉम                     | 2015168                |
| 3        | श्री सुनील कुमार/राम आसरे/वि0/<br>15.01.1983/बलिया/अनु0 जाति/8756                  | वि0न0<br>वित0म0,<br>गोरखपुर | पूर्वांचल डिस्कॉम                     | 2015169                |

यह प्रोन्नति आदेश दिनांक 01.06.2015 अथवा कार्यभार ग्रहण की तिथि, जो भी बाद में हो, से प्रभावी होगा।

सभी अवर अभियन्ताओं द्वारा सहायक अभियन्ता पद पर कार्यभार प्रमाण पत्र भरने से पूर्व उनके नियंत्रक अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि:-

- (क) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी विभागीय अग्रिम, संयंत्र, भण्डार सामग्री अवशेष न हो।
  - (ख) अवर अभियन्ता के विरुद्ध कोई भी अनुशासनिक कार्यवाही सम्बन्धी प्रकरण न चल रहा हो।
  - (ग) उपर्युक्त सूची में नामित अवर अभियन्ता के विरुद्ध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति है तो प्रोन्नत अवर अभियन्ता को कार्यमुक्त करने से पूर्व विविध प्रकीर्ण धनराशि/प्रत्याप्ति की नियमानुसार कटौती प्रारम्भ कर दी गई है एवं उसका अंकन उसकी सेवा पुस्तिका में कर दिया गया है।
  - (घ) समस्त घयनित अवर अभियन्ता प्रोन्नति आदेश निर्गत होने से एक माह के भीतर अपने नव तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे। विलम्बत: दिनांक 30.06.2015 तक कार्यभार ग्रहण न करने वाले अवर अभियन्ताओं के विषय में यह मानते हुए कि वह प्रोन्नति लेने में इच्छुक नहीं हैं, कारपोरेशन स्तर से अग्रतर कार्यवाही कर दी जायेगी।
- 2 सक्षम अधिकारी का यह दायित्व होगा वे उपर्युक्त आवंटित अधिकारी की तैनाती उ0प्र0 पा0का0लि0 में वर्तमान में प्रभावी स्थानान्तरण नीति के अनुरूप करना सुनिश्चित करेंगे तत्पश्चात एक माह में कार्यभार ग्रहण कराना भी सुनिश्चित करेंगे।
  - 3 उक्त तैनाती आदेश जनहित याचिका सं0-79/1997 में मा0 सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय दिनांक 21.03.2007 में निहित निर्देशों के अनुरूप है।

4. आवंटित अधिकारियों की तैनाती, शासन की द्विसदस्यीय समिति से वांछित अनुमोदन प्राप्त कर, कारपोरेशन की प्रभावी स्थानान्तरण निति के अनुरूप करने का दायित्व सम्बन्धित निगम का होगा।
5. उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारियों को कार्यभार से स्थानीय व्यवस्था द्वारा तत्काल अवमुक्त करा दिया जाए।
6. सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक उपर्युक्त प्रोन्नत/आवण्टित अधिकारी की. तैनाती का जोन वर्तमान में कार्यरत जोन से भिन्न करना सुनिश्चित करेंगे। यदि अत्यन्त अपरिहार्य कारणों से शिथिलता बरतनी है तो सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक को सकारण प्रस्ताव बनाकर कारपोरेशन से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
7. नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि व सुनिश्चित कर ले कि स्थानान्तरित अधिकारी कार्यमुक्ति की तिथि को पावर कारपोरेशन द्वारा निर्गत आदेश सं०-5910-गोपन/पाकालि(06)/2001, दिनांक 11.06.2001 के अनुसार वार्षिक गोपनीय आख्या का अंकन तथा स्वांकन का प्रस्तुतिकरण सुनिश्चित करता है।

### प्रबन्ध निदेशक

संख्या :- 1235-अ0प्र0-07/पाकालि/2015/तददिनांक ( 29/05/2015)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)/निदेशक (वितरण)/निदेशक(वित्त)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक(का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता एवं महानिदेशक, प्रशिक्षण एवं मानव संसाधन विकास, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पा०का०लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उपरोक्त अधिकारियों का प्रशिक्षण पाठक्रम आयोजित कराने हेतु अवश्यक व्यवस्था करें।
7. मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ०प्र०पा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
8. उप सचिव (अ०प्र०-०३/०४) उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
9. अधिशासी अभियन्ता (Website) उ०प्र० पाकालि शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (वैतन एवं लेखा), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अनुभाग अधिकारी, (अ०प्र०-०३/०४)/गोपन अनुभाग, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
12. संबंधित अधिकारीगण।
13. गार्ड फाइल/कट फाइल।

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार सिंह)

उप सचिव